

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-04/2017 194

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/मेदिनीनगर ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 26.12.17

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180800540545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	कुल आवंटन (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80-सामान्य/	800-अन्य व्यय/ 54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम०	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य 49S470180800540545	1400.00

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ चौदह करोड़ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2017-18 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 18000.00 लाख (₹ एक सौ अस्सी करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

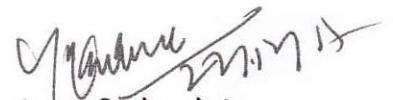

(कमल किशोर सोन)
सचिव

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/मेदिनीनगर/गढवा/गुमला/बुण्डु सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त


(कमल किशोर सोन)
सचिव

ज्ञापांक :-

194

रॉची, दिनांक :- 26.12.17

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, अपर मुख्य सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(कमल किशोर सोन)
सचिव

विभागीय पत्रांक..... 194

दिनांक ... 26/12/17 का अनुलनक

परिशिष्ट - 1

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिचय

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय।

उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ईआरएम०

विरसूत शीर्ष-05-निर्माण 45-निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S470180800540545

वित्तीय वर्ष 2017-18 में संशोधित बजट उपबंध ₹ 18000.00 लाख (एक सौ अस्सी करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2017 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा (GRHHR004)	मेदिनीनगर	चिरका जलाशय के ई.आर.एम. कार्य अन्तर्गत चिरका मुख्य नहर के कि॰मी॰ 0.00 से कि॰मी॰ 12.63 तक का पुनर्स्थापन के साथ लार्डनिंग कार्य हेतु।	1140.600	66/14-15 प्र.स्वी. दिनांक -21.10.2014	241.77	400.00	200.00	600.00	80606	
			मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन गढ़वा जिलान्तर्गत दानरो जलाशय योजना के ERM कार्य हेतु।	4028.600	69 / 16-17 प्र.स्वी. दिनांक -15.12.2016	0.00	0.00	400.00	400.00	80607	
2	जलपथ प्रमंडल, गुमला (GMLHR001)	राँची	कतरी जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ई॰आर॰एम॰) कार्य हेतु	9177.350	03/16-17 प्र.स्वी. दिनांक -12.04.2016	1590.96	0.00	600.00	600.00	80609	
			धनसिंह टोली जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ई॰आर॰एम॰) कार्य	2912.380	06/16-17 प्र.स्वी. दिनांक -12.04.2016	245.30	0.00	100.00	100.00	80611	
3	सिंचाई प्रमंडल, बुण्डु (RNCIR011)	राँची	आराडीह वीयर योजना के ERM कार्य हेतु।	754.234	47/16-17 प्र.स्वी. दिनांक -21.09.2016	8.36	0.00	100.00	100.00	80615	
				योग		400.00	1400.00	1800.00			

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ चौदह करोड़ मात्र।

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ चौदह करोड़ मात्र।

(श्वेता कुमारी)

सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

(कमल किशोर सोन)

सचिव